(52)

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

II/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2018/2008 नि0प्र0क्र0:- /18

गुलाबसिंह आ. श्री लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली
आयु लगभग 55 वर्ष धंधा कृषि, निवासी ग्राम मगरिया
एवं कृषक ग्राम मंजीखेड़ी तहसील नसरुल्लागंज
जिला सीहोर म.प्र. ------------- निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व
नसरुल्लागंज जिला सीहोर म.प्र. -------- उत्तरदाता
(2) धूमसिंह आ. छीतर आयु व्यस्क निवासी म.न. 343 गुलाब बाग कालोनी ... के पास इन्दौर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय महोदय नसरुललागंज द्वारा अपील प्रकरण क्रमॉक-२५-अपील/2017-18 मे दिनॉक 16.02.2018 को पारित आदेश की निगरानी

निगरानीकर्त्ता तर्फे निम्नानुसार निगरानी सादर प्रस्तुत है:-

निगरानी के तथ्यः

1, यह कि निगरानीकर्त्ता ग्राम मगरिया तहसील नसरुल्लागंज का निवासी होकर ग्राम गंजीखेड़ी तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर का कृषक है। निगरानीकर्त्ता का पड़ोसी कृषक धूमसिंह आ. छीतर है। धूमसिंह आ. छीतर ने नायब तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज के समक्ष एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 250 म.प्र.भूराजस्व संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसने अपनी भूमि सर्वे नं. 48/1/1/2क रकवा 1.886 हे एवं सर्वे नं. 48/1/1/2ग रकवा 0.040 हे. कुल रकवा 1.926 हे. स्थित ग्राम मंजीखेड़ी तहसील नसरुल्लागंज का सीमांकन प्र.क्र. 77/अ-12/2016-17 द्वारा दिनॉक 15.06.2017 को कराया। सीमॉकन मे उसकी 1.700 हे. भूमि पर निगरानीकर्त्ता का कब्जा पाया गया जिसके कब्जा वापसी का निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण रा.प्र.क्र. 06/अ-70/2016-17 के रुप में दर्ज हुआ।

2, यह कि प्रकरण में निगरानीकर्त्ता को सूचना उपरान्त उपस्थित होने पर उसने अपना जबाब प्रस्तुत किया। निगरानीकर्त्ता के अनुसार उसके नाम पर ग्राम मंजीखेड़ी तहसील नसरुल्लागंज मे भूमि सर्वे नं.48/1/2/2 रकवा 3.71 एकड़ वादग्रस्त भूमि राजस्वपत्रों मे दर्ज है जिसे उसने वर्ष 1982 मे रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से खरीदी है। भूमि क्रय करने के समय ही विधिवत सीमॉकन कराकर इसका कब्जा प्राप्त किया है तथा उसी समय भूमि की मेड़ निर्धारित कर इस पर निगरानीकर्त्ता का लगातार कब्जा चला आ रहा है। धूमसिंह आ. छीतर निगरानीकर्त्ता का मेड़ पड़ोसी है जो निगरानीकर्त्ता द्वारा भूमि क्रय करने के पूर्व से भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। वर्तमान मे भी धूमसिंह आ. छीतर के पास उसकी 5 एकड़ कृषि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ।।/निगरानी/सीहोर/भू-रा./2018/2008 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज जिला सीहोर दवारा पारित आदेश दिनांक 16-02-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम दवारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी दवारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक दवारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नसरूल्लागंज जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 29-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । रीडर अध्यक्ष	